सामाजिक विज्ञान

(नागरिक शास्त्र)

अध्याय-4: कानूनों की समझ

SHIVOM CLASSES 8696608541

कानून

देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है।

हमारा कानून धर्म, जाति, और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नही करता।

कानून एवं न्यायभारतीय संविधान में सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। संविधान में सभी को मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं ताकि नागरिकों का हित स्वेच्छ निर्णयों से प्रभावित नहीं हो। इस खंड में कानून,नियमों एवं अधिनियमों, विधिक संस्थानों, आयोगों एवं अधिकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों, वैकल्पिक विवाद निपटारे (एडीआर), क़ानूनी सहायता एवं व्यवसाय इत्यादि से संबंधित जानकारी भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं एवं नि:शुल्क विधिक सेवा योजनाओं के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय से संबंधित प्रलेख एवं प्रपत्र भी इस खंड में उपलब्ध हैं।

प्राचीन भारत

असंख्य स्थानीय कानून थे। अकसर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे।

औपनिवेशिक शासन

कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे-जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा।

औपनिवेशिक कानून :- भारत मे कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी।इसलिए मनमानेपन पर आधारित था।

1870 का संविधान अधिनियम :- अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए।

बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

रॉलट एक्ट 1919 :- इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों जैल में दाल सकती थी।

हिंदू उत्तरधिकार संशोधन अधिनियम 2005

बेटे, बेटियाँ और उनकी माँ, तीनों को परिवार की संपति में बराबर हिस्सा मिल सकता हैं।

कानून किस तरह बनते हैं?

कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

संसद लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।

संसद घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए कानून बनाती है।

घरेलू हिंसा

जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य (आमतौर पर पति) घर की किसी औरत (आमतौर पर पत्नी) के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पँहुचाता है या मारपीट करता है। शारीरिक या भावनात्मक हो सकता है।

घरेलू हिंसा कानून 2005 :- महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया।

नागरिकों की आवाज

टेलीविजन रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के ज़रिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है।

अलोकप्रिय :- कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है।

आलोचना :- तब लोग उस कानून को आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएँ कर सकते है, अखबारों में लिख सकते हैं, टी.वी. चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

दमनकारी कानून :- लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं।

संशोधन :- यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है।

नागरिकों की भूमिका :- निर्वाचित प्रतिनिधियों, अखबारों और अन्य संचार माध्यम, लोगों की भागीदारी और उत्साह से संसद को सही तरीके से कार्य करने में मदद करते हैं।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 51)

प्रश्न 1 ' कानून का शासन ' पद से आप क्या समझते हैं ? अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए।

उत्तर – कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्नासेठ हो और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। देश में कानून ही सर्वोच्च है। देश का शासन कानूनानुसार चलाया जाता है न कि किसी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार।

प्रश्न 2 इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से दो कारण बताइए।

उत्तर – कानून का शासन भारतीय संविधान की एक अद्भुत विशेषता है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है, कि कानून के शासन की धारणा को ब्रिटिश सरकार ने आरंभ किया। परंतु यह सत्य नहीं है। इतिहासकारों ने काफी कारणों से इस दावे को नकारा है, जैसे:- ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन व्यक्तिगत एवं निरंकुश था। ब्रिटिश अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से करते थे तथा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। 1870 का देशद्रोह कानून ब्रिटिश कानून का भाग था। ब्रिटिश सरकार के दौरान भारतीय राष्ट्रवादियों ने कानून के शासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के मनमाने व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समानता की मांग की। 19 वीं शताब्दी के अंत तक कई भारतीय कानूनी व्यवसाय में आए तथा अपने लिए कानून के शासन एवं न्याय की मांग की।

प्रश्न 3 घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग – अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई उसे अपने शब्दों में लिखिए।

उत्तर – घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या है। इसने महिलाओं के अधिकारों एवं सम्मान को प्रभावित किया है। महिलाओं को उनके पति, पिता, भाई और यहां तक कि बेटे द्वारा पीटा जाता है उनके साथ

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

बुरा व्यवहार किया जाता है। इस पर कई महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानूनों की मांग की। काफ़ी प्रयासों के बाद 1999 में घरेलू हिंसा (रोक एवं सुरक्षा) विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया। 2002 विधेयक को संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परंतु महिला संगठनों द्वारा इस विधेयक का विरोध किया गया, कि यह विधेयक घरेलू हिंसा को रोकने में प्रभावशाली नहीं था। अतः इस विधेयक को संसद की स्थाई समिति को दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे कई महिला संगठनों ने स्थाई समिति को कई सुझाव दिये। स्थाई समिति ने अपनी सिफारिशें संसद् को प्रस्तुत कीं। समिति की रिपोर्ट में महिला संगठनों की अधिकांश मांगों को मान लिया गया। 2005 में घरेलू हिंसा से संबंधित एक नया विधेयक संसद में पेश किया गया। यह विधेयक संसद से पास होने के तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् कानून बन गया, तथा 2006 में यह कानून लागू हो गया।

प्रश्न 4 अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य (पृष्ठ 44-45) से आप क्या समझते हैं : अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हों।

उत्तर – इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून का शासन ब्रिटिश संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता थी। परन्तु भारत में ब्रिटिश राज के दौरान उपनिवेशी कानून के समक्ष समानता नहीं थी। 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के मनमाने रवैये के विरोध में आवाज़ उठाई तथा कानून के सर्वोच्च की मांग थी। उन्होंने मांग की, कि भारत को ब्रिटिश लोगों के समान माना जाए तथा दोनों पर समान रूप से कानून लागू हो। भारतीय राष्ट्रवादियों ने न केवल समानता की मांग की, बल्कि न्याय की भी मांग की। भारतीय वकीलों ने भारतीय नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों की मदद लेनी शुरु करदी।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)